**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 व एनबीडब्ल्यू में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**दिनांक- 21.03.2024**

**दिनांक 20/21.03.2024 को थाना आलमबाग 01, मड़ियांव 03 व एनबीडब्ल्यू में थाना माल 01, गुड़म्बा 02, नाका 01, निगोंहा 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 व एनबीडब्ल्यू में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।**

## डी0सी0पी0 दक्षिणी

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।**

**थाना गोसांईगंज**-दिनांक 20.03.2024 को उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर थाना गोसांईगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त 01- परवेश पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम अस्ती थाना गोसाईगंज लखनऊ को ग्राम अस्ती मे सरकारी स्कूल के गेट के पास से गोसाईगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसांईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**थाना बन्थरा**-दिनांक 20.03.2024 को उ0नि0 श्री इब्ने हसन थाना बन्थरा द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त **01**-रामू राजपूत पुत्र छोटे लाल निवासी बनियन खेड़ा गढी चुनौटी थाना बन्थरा लखनऊ **02**-कुन्दन पुत्र शिवनन्दन निवासी नटखेड़ा गढी चुनौटी थाना बन्थरा लखनऊ को ग्राम दरियापुर बन्थरा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः 10 –10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना बन्थरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**थाना बन्थरा**-दिनांक 20.03.2024 को उ0नि0 श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह थाना बन्थरा द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त 01-छोटेलाल रावत पुत्र स्व0सिपाही निवासी ग्राम दरियापुर थाना बन्थरा लखनऊ को ग्राम दरियापुर मोड़ के किनारे बन्थरा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना बन्थरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

## डी0सी0पी0 पूर्वी

**110जी सीआरपीसी की कार्यवाही।**

**थाना गोमतीनगर विस्तार**- दिनांक 21.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार अवस्थी थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ द्वारा अभियुक्त **01**-रविपाल पुत्र रामनिवास निवासी गडेरियन पुरवा छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ **02**-गोविन्द यादव पुत्र तन्नू यादव निवासी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ **03**-करन यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी खसरा नं0 148 लेन 6 श्रीराम मैरिज हॉल के पास अवधपुरी खण्ड 2 खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ मूल पता तिवारीपुर कोडरा थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया **04**-विष्णु यादव पुत्र तन्नू यादव निवासी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ **05**-सर्वेश यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी खसरा नं0 148 लेन 6 श्रीराम मैरिज हॉल के पास अवधपुरी खण्ड-2 खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ मूल पता तिवारीपुर कोडरा थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया के विरूद्ध **थाना गोमतीनगर विस्तार पर 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।**

## भा0द0वि0

**थाना गोमतीनगर विस्तार**- दिनांक 21.03.2024 को थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि वादी संदीप कुमार पुत्र राम अजोर निवासी ग्वारी गाँव, विकासखण्ड-4 गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर विस्तार पर सूचना दिया कि वादी भवन निर्माण मिस्त्री है जो कि वर्तमान में एक भवन निर्माण हेतु रघुनाथ नगर खरगापुर से0-6 थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में रह रहा है। दिनांक 20/03/2024 को रात्रि समय लगभग 03.00 बजे उपरोक्त निर्माण स्थल पर से वादी का मोबाइल फोन सैंमसंग व बाइक टीवीएस स्टार सिटी यूपी32सीई5075 व कपड़ों से भरा पिट्ठू बैग को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर विस्तार पर मु0अ0सं0- 54/2024 धारा- 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

**थाना नगराम**-दिनांक 21.03.2024 को थाना नगराम द्वारा बताया गया कि श्री छेदालाल पुत्र स्व0रामजीवन निवासी-देवती थाना नगराम लखनऊ ने थाना नगराम पर सूचना दिया कि आज दिनांक 21.03.2024 को उसके पुत्र अमरेश उर्फ लाली उम्र करीब 28 वर्ष ने घर के अंदर आंगन में लगी टीनशेड की बल्ली से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री संजय सिंह मो0नं0- 8299144512 थाना नगराम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अमरेश उर्फ लाली उम्र करीब 28 वर्ष उपरोक्त ने घर में आंगन में टीनशेड की बल्ली से पैंट का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक की 02 वर्ष पूर्व शादी हुयी थी।

**थाना आलमबाग**-दिनांक 21.03.2024 को थाना आलमबाग द्वारा बताया गया कि वादी श्री रमाकान्त पुत्र स्व0 रामनाथ निवासी आवासीय परिसर डा0सम्पूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, वर्तमान पता जेल ट्रेनिंग संस्थान, आनंदनगर, आलमबाग लखनऊ, स्थायी ग्रा0 मोहिउदीनपुर पो0 वाहन बाजार थाना-पूरा कलन्दर जनपद अयोध्या ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी के मो0न0 पर दिनांक 18.03.2024 को 14.17 बजे मो0न0- 6291238077 से कॉल आई जिस पर वादी को कहा गया वादी का क्रेडिट कार्ड (indusind bank) को रिन्युअल किया जाना है। वादी के वाट्सअप पर मो0न0- 7068674033 द्वारा indusind bank का ऐप लिंक भेजते कर डाउनलोड करने को कहा गया। वादी के द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड का न तो कोई नं0/पिन/ओटीपी और न सीवीसी नं0 अंकित किया गया, इसी बीच वादी के क्रेडिट कार्ड से फोन-पे पर क्रमशः 800/-, 48,960/- व 10,200/- रूपये फर्जी तरीके से निकाल लिए गये है। उक्त धनराशि वादी के द्वारा नही निकाली गई। **इस सूचना पर थाना आलमबाग पर मु0अ0सं0-54/2024 धारा- 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**